

468

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

अम्बेडकर भवन, जी 3/1-ए, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1) () वि.यो./सु.भा.अभि./2017/ 17851

जयपुर, दिनांक : 24/11/17

मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जयपुर।

- विषय :** भारत सरकार द्वारा संचालित सुगम्य भारत अभियान के तहत सिपडा योजना अन्तर्गत विशेष योग्यजनों की सुलभ आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु जयपुर (शहर) के 90 राजकीय भवनों को विशेष योग्यजनों हेतु सुगम्य बनाये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
- प्रसंग :** आपके पत्रांक सी.ई./एस.ई. (बिल्डिंग)/ई.ई. 4/2016-17/डी 89 दिनांक 22.08.2016, पत्रांक डी 95 दिनांक 24.08.2016 एवं पत्रांक डी 451 दिनांक 07.09.2016 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित सुगम्य भारत अभियान के तहत सिपडा योजना अन्तर्गत विशेष योग्यजनों की सुलभ आवाजाही हेतु जयपुर (शहर) के 90 राजकीय भवनों को सुगम्य बनाये जाने हेतु निम्नानुसार राशि रुपये 50.844 करोड़ (अक्षरे राशि रुपये पचास करोड़ चौरासी लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित कार्यों हेतु एवं शर्तों के अन्तर्गत जारी की जाती है :-

Details of buildings to be made barrer free As per GOI

Sl. No.	Name of the Building/Place at Jaipur	Amount (Rs. in lakh)
1	Collector Office, Jaipur	32.57
2	Mini Secretariat, Jaipur	70.07
3	Session Court, Jaipur	128.65
	Metro Court	50.34
	District Court	
4	Rajya Bhima avm Pravdhayi Nidhi Vibhag Bhawan, Jaipur	50.05
5	Bhrashtachar Nirodhak Byoro (ACB) Jhalana, Jaipur	29.54
6	Police Mukhyalaya Bhawan (PHQ), Jaipur	130.30
7	Rajasthan Parivahan Vibhag, Jaipur	26.99
8	HCM-RIPA (OTS), Jaipur	75.45
9	Commissioner, RTI, OTS, Jaipur	9.56
10	Settlement Office (Viman Bhawan), Jaipur	5.19
11	Circuit House, Jaipur	18.19
12	Znana Hospital, Jaipur	140.00
13	Kanwantiya Hospital, Jaipur	51.55
14	Udyog Bhawan, Jaipur	65.00
15	Vitta Bhawan, Jaipur	71.27
16	Kar Bhawan, Head Quarter, Jaipur	27.32
17	SMS Medical College, Jaipur	126.25
18	SMS Hospital, Jaipur	1032.00
19	J.K. Lon Hospital, Jaipur	218.91
20	Government Dispensary Sardar Patel Marg, Jaipur	10.54
21	Satellite Hospital Sethi Colony, Jaipur	16.88
22	Mahila Chikitsalaya, Jaipur	147.84

23	Indira Gandhi Panchyati Raj Sansthan JLN Marg, Jaipur	68.42
24	State Library Building, JLN Marg, Jaipur	20.38
25	Rasjathan Pathya Pustak mandal Jhalana Doongri, Jaipur	37.31
26	Police Thana Shyam Nagar, Jaipur	4.52
27	Police Thana Sodala, Jaipur	7.26
28	Police Thana Mansarover, Jaipur	6.29
29	Police Thana Vidhyakpuri, Jaipur	1.84
30	Police Thana Vidhyadhar, Jaipur	20.75
31	Police Thana Manak Chowk, Jaipur	2.27
32	Police Thana Ashok, Jaipur	11.79
33	Police Thana Mahesh Nagar, Jaipur	4.96
34	Police Thana Vaishali Nagar, Jaipur	4.07
35	Karalaya Mahila Nagar Nigam (Mahila Ayog) Lal Kothi, Jaipur	14.08
36	Mahila Adhikarita Vibhag, Jaipur	17.31
37	Mansik Vimandit Shikshan Prashishan Kendra, Jaipur	21.66
38	Nehru Sakar Bhawan, Jaipur	74.54
39	Police Thana Malviya Nagar, Jaipur	13.43
40	University Maharaja College, Jaipur	98.45
41	University Maharani College, Jaipur	78.18
42	Krishi Pant Bhawan, Jaipur	132.67
43	Main Building of Rajasthan Secretariat, Jaipur	141.24
44	Grah Vibhag (Outer parking, Canten, Reception etc) of Rajsathan, Secretarait, Jaipur	53.21
45	Mantralaya Bhawan of Rasjathan Secretarait, Jaipur	33.64
46	Suchna Avam Jan Sampark Vibhag of Rajasthan Secretarait, Jaipur	15.83
47	Panchayat Raj/Lokayukt Bhawan of Rajasthan Secretarait, Jaipur	28.92
48	Yojna Bhawan, Jaipur	69.82
49	University's Commerce College, JLN Marg, Jaipur	67.07
50	Jan Swasthya Abhiyantriki Vibhag (PHED), Hasanpura, Jaipur	3.24
51	Central Bus Stand, Jaipur	13.79
52	Delux Depot Bus Stand, Jaipur	5.81
53	Vaishali Nagar Bus Stand, Jaipur	7.03
54	Vidhadhar Nagar Bus Stand, Jaipur	3.41
55	Mukhyalaya Bus Stand, Jaipur	20.33
56	Sanganer Bus Stand at Tonk Road Near Kumbha Marg, Jaipur	3.27
57	Housing Bound, Jaipur	31.70
58	Jaipur Development Authority, Jaipur	125.27
59	Water Resources DEpt (Irrigation), JLN Marg, Jaipur	44.23
60	Commercial Taxation Dept, Jhalana Doongri, Jaipur	83.00
61	Swayatt Shasan Vibhag, Jamna Lal Marg, C-scheme, Jaipur	10.38
62	Rasjathan Paryatan Vikas Nigam Building, Railway Station, Jaipur	8.90
63	Vidhut Bhawan, Jaipur	75.33
64	RIICO Building Tilak Marg, C-scheme, Jaipur	17.10
65	Pant Krishi Bhawan, Jaipur	72.98
66	Food & Supply Building Rajasthan Sectt, Jaipur	46.90
67	RSLDC, Jhalana, Jaipur	8.32
68	Shiksha Sankul Mukhya Bhawan, JLN Marg, Jaipur	369.00
69	Rajasthan Rajya Pradushan Nityantan Mandal, Jhalana, Jaipur	16.63

70	School of Arts Shiksha Sankul, Jaipur	37.42
71	Open School Karyalya Shiksha, Sankul Parishar, Jaipur	13.63
72	Yuva Kendra Sawai Mansingh Stadium, Jaipur	5.35
73	Van Bhawan, Jhalana, Jaipur	74.72
74	RICEM, Jaipur	38.66
75	Motidungari Zone Nagar, Jaipur	4.97
76	Vidhyadhar Nagar Zone Nagar Nigam, Jaipur	5.15
77	Amer Zone Nagar Nigam, Jaipur	6.15
78	Sanganer Zone Nagar Nigam, Jaipur	2.32
79	Hawa Mahal (East) Zone Nagar Nigam, Jaipur	4.97
80	Hawa Mahal (West) Zone Nagar Nigam, Jaipur	5.88
81	Civil Line Zone Nagar Nigam, Jaipur	11.24
82	Amansarover Zone Nagar Nigam, Jaipur	1.91
83	Police Station Amer, Jaipur	2.69
84	Rajsathan University Law College, Jaipur (Mukhya Mahavidhyalya)	38.05
85	Rajsathan University Pustakalaya Vibhag, Jaipur	39.53
86	Rajsathan University Vigyaan Vibhag, Jaipur	60.23
87	Rajsathan University Administration Bhwan, Jaipur	24.32
88	Karyalaya Nagar Nigam Lal Kothi, Jaipur	115.83
89	Police Station Sanganer, Jaipur	2.17
90	Rajathan University Hindi Vibhag Jaipur Ground Floor & 1st Floor	38.22
	Total Amount Sanctioned	5084.40

भारत सरकार द्वारा संचालित सुगम्य भारत अभियान के तहत 90 राजकीय भवनों को विशेष योग्यजनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र क्रमांक एफ 4-58/2016/ए/सी दिनांक 26.09.2017 के द्वारा राशि रुपये 24.20 करोड़ एवं अन्य पत्रांक एफ 4-58/2016/ए/सी दिनांक 07.11.2017 के द्वारा राशि रुपये 13.93 करोड़ कुल राशि रुपये 38.13 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो कि वित्त (मार्गोपॉय) विभाग में दिनांक 27.09.2017 एवं दिनांक 08.11.2017 को प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि रुपये 38.13 करोड़ रुपये में से वर्ष 2017-18 में 605.19 लाख एवं वर्ष 2018-19 में शेष राशि 3207.81 लाख का व्यय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निम्नवत जारी की जाती है।

1. योजना-भारत सरकार द्वारा संचालित सुगम्य भारत अभियान के तहत सिपडा योजनान्तर्गत निर्माण।
2. वित्तीय वर्ष-2017-18
3. राशि 38.13 करोड़ (अक्षरे राशि रु. अड़तीस करोड़ तेरह लाख मात्र)
4. बजट मद

मांग संख्या-33

4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
02	समाज कल्याण
800	अन्य व्यय
(10)	विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना
{01}	रेम्प एवं लिफ्ट आदि निर्माण कार्य
16	लघु निर्माण कार्य (के.प्र.यो.)

5. शर्तें :-

1. भारत सरकार द्वारा संचालित सुगम्य भारत अभियान के तहत सिपडा योजनान्तर्गत जयपुर (शहर) के 90 राजकीय भवनों को विशेष योग्यजनों की आवाजाही हेतु सुगम्य बनाये जाने बाबत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर राशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुये इस राशि का उपयोग उन्हीं कार्यों पर नियमानुसार किया जाएगा जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 31.03.2018, तक की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही पूर्व में जारी की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अविलम्ब उपलब्ध कराये।
 3. उक्त राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं के अनुमानित मांग पत्र के अनुसार जारी की गई है। अतः उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जारी की गई है।
 4. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों/विभागों के खाते भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के अंकेक्षण हेतु खुले रहेंगे।
 5. स्वीकृति से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति का उपयोग राज्य सरकार की अनुमति के अनुसार होगा।
 6. सिपडा योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिये व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से प्राप्त राशि की सीमा तक किया जा सकेगा।
 7. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
6. अर्न्तविभागीय सहमति संख्या :- यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की अर्न्तविभागीय संख्या 161701439 दिनांक 15.12.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

एवं विशिष्ट शासन सचिव

जयपुर, दिनांक : 22/12/2017

क्रमांक : एफ 16(1) ()वि.यो./सु.भा.अभि./2017/ 17852-62

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (ऑडिट/लेखे)।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (आय-व्यय) विभाग को भेजकर निवेदन है कि उक्त मद में राशि आवंटित कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का श्रम करें।
7. संबंधित जिला कलक्टर।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को आहरण एवं वितरण की शक्तियां प्रत्यायोजित करने का श्रम करावें।
9. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्य निर्धारित वित्तीय सीमा में समय पर पूर्ण करवाया जाकर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करें।
10. जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (शहर)।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक